:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :— अनील कुमार जैन
मुकदमा नम्बर 31/21

1. श्री राजेश कुमार पिता मुलचन्द जी जाति कलाल निवासी [illegible] तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने अन्तर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट।

उपस्थित :—

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 29/06/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव सीमलवाडा के खसरा सख्या 2493/1226 का रकबा 0.0162 हैक्टेयर भूमि क्रय की है जिसका विक्रयपत्र सलग्न है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर को वाद विवाद नहीं हो इस आश्य से पत्थरगढी करवाना चाहती है प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को तलब किया गया, अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, चुकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थथर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हो के साथ कराना चाह रहा है। ऐसे में प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया।

अतः तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव सीमलवाडा के खसरा सख्या 2493/1226 का रकबा 0.0162 हैक्टेयर **भूमि की पत्थरगढी, पडौसी खातेदार को नोटिस जारी कर, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने के आदेश किए जाते है, मौके पर विवाद होने की स्थिती में तहसीलदार माकुल पुलिस जाब्ते हेतु तहरीर जारी करे, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।,**

आज दिनांक 29/06/2021. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।